


राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(1)(4) आप्रसआ/सामान्य/2010/  
353-68 दिनांक 15-1-11 के द्वारा राज्य के 2 जिलों के 1249 ग्रामों को  
अभावग्रस्त घोषित किया गया है ।

राज्य सरकार के लिये गये निर्णयानुसार अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में  
अल्पकालीन सहकारी ऋणों की वसूली स्थगित कर दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तन किया  
जाना है । कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्न:- अधिसूचना की प्रति

  
15/1/11  
(तन्मय कुमार)  
शासन सचिव,

प्रमुख शासन सचिव,  
सहकारिता विभाग,  
राज0, जयपुर ।

---

पत्रांक एफ 1(1)(4) आ.प्र. एवं स.आ./सामान्य/ 010/ 370  
जयपुर, दिनांक 15-1-11